23/8/22

पड़ापली पेश हुई। पक्षकार उप० वादी से जर्मे अधिवक्ता, एक प्रा० पत्र, बाबत मुकद्दमें को आगे नहीं चलाने, पेश किया जिसकी पु में अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आपसी बाबत आपसी तौर पर राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकद्दमें को आगे चलाना नहीं चाहते प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी के ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर कराये गये, श्री राकेश आर पटेल एडवोकेट द्वारा वादी की पहचान की गई। बाद वादी हस्वमंशा वादी नोटप्रेस में रवानगी किया जाता है। पड़ाकी कैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो कर बाद तामील फाईल दफ्तर हो।

Manish

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)